न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 309/2022

जगदीश प्रसाद पुत्र रूपचन्द, जाति जाट, निवासी बलाहा खुर्द, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा)

—— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिवक्ता, जिला कलेक्टर झुंझुनूं जिला झुंझुनूं (राज0)।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत सपुदर्गी वाहन रजि नं0 HR 23 H 0953 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम सुनिल कुमार प्रथम सूचना रिर्पोट 122/2022 थाना पचेरी कंला जिला झुझुनू अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम।

——

उपस्थितः–

1 एडवोकट श्री विजयसिंह शेखावत– प्रार्थी की ओर से
2 श्री कमल कुमार मीणा, विभागीय प्रतिनिधि – राज्य सरकार की ओर से

आदेश

दिनांक 06.10.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित प्रकार से पेश है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण से थाना पचेरी कलां जिला झुंझुनूं के द्वारा प्रार्थी का वाहन CRUISER 9+D रजि0 नम्बर HR 23 H 0953 चैसीस नं0 D27032189 जप्त किया गया है। पुलिस थाना पचेरी कलां को उपरोक्त वाहन की कोई आवश्यकता नही तथा प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रार्थी का उपरोक्त वाहन बारिश व धूप में खुला खड़े होने की वजह से वाहन खराब हो रहा है। अगर वाहन को सपुदुर्गी पर नही छोडा गया तो प्रार्थी उक्त वाहन अत्यधिक खराब हो जायेगा जिसकी वजह से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी श्रीमान न्यायालय के आदेशानुसार मौबीर जमानतनामा व सुपुदर्गीनामा पेश करने को तैयार है। प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में पेश है। अन्य उजरात वर वक्त बहस किये जायेगे। अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत सुपुदर्गी पर देने वाहन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस थाना पचेरी कलां जिला झुंझुनूं द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट नं0 122/022 अपराध अं0 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में जप्त वाहन CRUISER 9+D चैसीस नं0 D27032189 रजि0 नम्बर HR 23 H 0953 सुपुदर्गी पर छोडे जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना पचेरी कलां से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना, पचेरी कलां से पत्रांक 360 [illegible] 22.09.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि वाकियात मुकदमा हाजा इस प्रकार से है कि [illegible] श्री [illegible] चौधरी वृत्ताधिकारी वृत बुहाना ने दिनांक 10.08.2022 को एक फर्द जब्ती इस आशय की पेश की [illegible] श्री मन मुकेश चौधरी आर0पी0एस0 वृताधिकारी वृत बुहाना मय जाब्ता श्री भी[illegible] कानि0 नि[illegible]मार मय सरकारी गाड़ी मय चालक श्री विजयपाल कानि0 के [illegible]एम पर वास्ते इलाका [illegible] चैकिंग बदनाशाना हेतु रवाना हुआ व थानाधिकारी पचेरी कलां को हिदायत हुई कि 02 कानि0 की [illegible]दाद हेतु ग्राम सांतौर मिलने हेतु रवाना करे। समय 1.40 पीएम पर मन वृताधिकारी मय जाप्ता के ग्राम सांतौर पहुंचा जहां श्री धर्मेन्द्र कुमार कानि0 1113, थाना पचेरी कलां व श्री अमित कुमार कानि0 1581 थाना पचेरी कलां

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.01 12:41:45 IST
Reason: SelfAttested

मौजूद मिले जिनको हमराह लेकर रवाना होकर मेघपुर चौराहा पहुंचा तो जरिये मुखबीर इतला मिली की भालोठ– दुलोठ सडक पर ईट भठठो के पास एक व्यक्ति कूजर गाडी में हरियाणा से डीजल व पैट्रोल लाकर बेच रहा है। इतला विश्वनीय होने पर हमराही जाप्ता को ईतला से अवगत करवाया जाकर मन वृताधिकारी मय जाप्ता के रवाना होकर वक्त 02.10 पीएम पर मुताबिक मुखबीर सूचना के भालोठ दुलोठ सडक पर पहुंचा तो ईट भट्ठो के नजदीक एक सफेद रंग की कूजर गाडी खडी दिखी जिसका पिछला फाटक खुला हुआ था जिसके फाटक के पास एक व्यक्ति खडा नजर आया तथा कूजर गाडी के पास एक मोटर साईकल व एक ट्रेक्टर खडे दिखाई दिये जो पुलिस की गाडी को देखकर वहां से भाग गये। मन वृताधिकारी मय जाप्ता के कूजर गाडी के पास पहुंचा व गाडी के पास खडे व्यक्ति को नाम पूछा तो उसने अपना नाम सुनील कुमार पुत्र श्री मदनसिह जाति जाट उम्र 30 वर्ष निवासी काजला पुलिस थाना बुहाना होना बताया। जिसके एक हाथ में तेल डालने का 01 लीटर का नाप था। जिससे कूजर गाडी के बारे में पूछा तो बताया कि में इस कूजर गाडी में हरियाणा से सस्ते भाव में डीजल लाकर आस–पास के मोटरसाइकिल व ट्रेक्टर वालो को बेच देता हूं। गाडी की चैकिंग हेतु आस–पास स्वंतत्र मोतबीर तलाश किये मगर कोई स्वतंत्र मोतबीर नही मिलने पर हमराही जाप्ता में से श्री धर्मेन्द्र कुमार कानि0 1113, थाना पचेरी कलां व श्री अमित कुमार कानि0 1581 थाना पचेरी कलां को मोतबिर मामुर कर गाडी व गाडी में रखे गए सामान को चैक करना शुरू किया गया तो गाडी सफेद रंग की कूजर हैं जिसके आगे पिछे नम्बर प्लेट पर एच आर 23 एच 0953 लिखे हुये है। आगे के मैन सीसे पर अंग्रेजी भाषा में कार्तिक चौधरी लिखा हुआ तथा पिछे फाटक के शीशे पर मान साहब लिखा हुआ है। गाडी के ईजन नं0 D27032189 तथा चैसीस नं0 MC1D40EA29P000757 है। गाडी को अंदर से चैक किया गया तो पिछे की तरफ 02 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम जिसको खोलकर चैक किया गया तो दोनो में लगभग 200–200 लीटर डीजल भरा हुआ मिला तथा बडें ड्रमो के पास में ही 05 प्लास्टिक के नीले रंग के ड्रम रखे हुऐ मिले जिसमें भी प्रत्येक में ड्रम में लगभग 40 –40 लीटर डीजल भरा हुआ है। इस प्रकार कुल 600 लीटर डीजल भरा हुआ मिला तथा आगे के कन्डक्टर साईड फाटक के पास गाडी में एक नीले रंग की केन जिसमें लगभग 20 लीटर पेट्रोल भरा हुआ मिला था सीट के उपर एक 02 लीटर का नाप व एक ड्रमों से तेल निकालने की बैरल मशीन जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई मिली शख्स सुनिल कुमार को इतनी भारी मात्रा में डीजल व पेट्रोल कब्जे में रखना व विकय करने के संबंध में कोई लाईसेंस/अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा तो अपने पास नही होना बताया तथा बताया कि में हरियाणा से सस्ता तेल लाकर आस पास बोर्डर इलाको में ही बेच देता हूं। जिसको उक्त कृत्य धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध की श्रेणी में आना पाया जाने पर गाडी व उसमें मिले समान को कब्जा पुलिस में लिया जाकर बडे ड्रम में से एक कांच की बोतल में डीजल निकाला जाकर बतौर नमूना सैम्पल मार्क A अंकित किया गया तथा शेष बचे डीजल को उसी ड्रम में शील्ड मोहर कर बतौर वजह सबुत मार्क A-1 अंकित किया गया दुसरे ड्रम से भी एक कांच की बोतल मे डीजल निकाला जाकर बतौर नमूना सैम्पल B अंकित किया गया तथा शेष डीजल को उसी ड्रम में शील्ड मोहर कर बतौर बजह सबूत मार्क B-1 अंकित किया गया। तथा छोटे ड्रमों में से प्रत्येक में से 01–01 बोतल डीजल निकाला जाकर बतौर नमूना डीजल सैम्पल कमश C, D, E, F, G अंकित किए गये तथा शेष डीजल को उन्ही ड्रमों में रखा जाकर बतौर वजह सबूत मार्क कमश C-1, D-1, E-1, F-1, G-1 अंकित किए गए तथा केन में से मिले पेट्रोल से एक बोतल पैट्रोल बतौर नमूना सैम्पल निकाला जाकर मार्क H अंकित किया गया व शेष पैट्रोल को उसी [illegible] मार्क H-1 अंकित किया गया। शक्स सुनिल कुमार को पृथक से गिरफ्तार किया जा रहा है। नमूना [illegible] पर अंकित की गई। इत्यादि फर्द जप्ती पर अभियोग संख्या 122/22 धारा 3/[illegible] में संलिप्त कर अनुसंधान मन बनवारी लाल उ0नि0/थानाधिकारी द्वारा आ[illegible] किया गया। प्र[illegible] हाजा में दौराने अनुसंधान बयान मुस्तगीस श्री मुकेश चौधरी व गवाह श्री रतन [illegible] 172, अमित कुमार कानि0 1581 के दरियाफत कर बयान धारा 161 सीआरपीसी में लेखबद्ध कर श[illegible] पत्रावली किये गये, नक्शा मौका मय हालात मौका घटनास्थल मुर्तिब किया गया, फर्दजब्ती कूजर गाडी मय डीजल–पैट्रोल से भरे ड्रम, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम सुनिल कुमार, शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण हाजा में गिरफ्तारशुदा मुल्जिम सुनिल कुमार से अनुसंधान, बयानात मुस्तगीस व गवाहान, नक्शा मौका मय हालात मौका घटनास्थल, फर्दजब्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.01 12:41:45 IST
Reason: SelfAttested

कूजर गाडी मय डीजल पैट्रोल फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम दीगर अनुसंधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य सामने आये है कि (1) प्रकरण हाजा में नामजद सुनिल कुमार पुत्र मदन सिह जाति जाट निवासी काजलां का रहने वाला है जो बुहाना में भलिया देवी कॉलेज में बच्चों की गाडी की ड्राइवरी करता है। (2) जब्तशुदा कूजर गाडी नम्बर एचआर 23 एच 0953 का रजिस्टर्ड वाहन स्वामी श्री जगदीश प्रसाद मौजा बलाहा खुर्द हरियाणा का रहले वाला है, जिसने अपनी उक्त गाडी पर सार संभाल के लिए अपने रिश्तेदार जयप्रकाश निवासी भिर्र को दे रखी है और उसने उक्त कूजर गाडी भलिया देवी कॉलेज बुहाना में लगा रखी है, जिस पर नामजद सुनिल कुमार ड्राईवरी करता है। (3) नामजद सुनिल कुमार कूजर गाडी नंबर एचआर 23 एच 0953 पर ड्राईवरी करता है। वाहन स्वामी जगदीश प्रसाद ने उक्त कूजर गाडी नंबर एचआर 23 एच 0953 भलिया देवी कॉलेज बुहाना में बच्चो को लाने ले जाने के लिए लगा रखी हैं जिस पर नामजद सुनिल कुमार कॉलेज में बच्चो को छोडने के पश्चात वाहन स्वामी को बिना बताये ही इस गाडी में हरियाणा में डीजल–पैट्रोल लाकर राजस्थान में बेचता है। (4) राजस्थान मे पैट्रोल डीजल मंहगा है। और हरियाणा में डीजल–पैट्रोल सस्ता है। दोनों राज्यो में करीब तेल का अन्तर एक लीटर पर 10 रूपये का अन्तर है। इस कारण से नामजद सुनिल कुमार ने सोचा कि क्यों ना हरियाणा से पेट्रोल–डीजल लाकर उसे राजस्थान में लाकर यहां के भाव बेचकर मुनाफा कमाया जाये। यह बात स्वयं नामजद सुनिल कुमार ने अपनी पूछताछ में ताईद की है। (5) इसके बाद नामजद सनिल कुमार हरियाणा से प्लास्टिक के ड्रमों में डीजल व पैट्रोल भरकर उक्त कूजर गाडी में रखकर राजस्थान में लाकर बेचने लगा और मुनाफा कमाने लगा। इस समय बरसात होने पर फसल बुआई व खेतों में जुताई का काम चल रहा है तो किसानों को अपने ट्रेक्टरों व आस–पास के ईट भट्टों पर डीजल–पैट्रोल की अधिक आवश्यकता होती है। जिस पर नामजद सुनिल कुमार कूजर गाडी नंबर एचआर 23 एच 0953 में हरियाणा से डीजल–पैट्रोल भरकर उसे रास्ते में मिलने वाले किसानो व आस–पास के ईलाके में बेचता है। (6) घटना दिनांक 10.08.2022 को भी नामजद सुनिल कुमार कुजर गाडी नम्बर एचआर 23 एच 0953 में हरियाणा सीमा से लगते फिलिंग स्टेशन से ड्रमों में डीजल–पैट्रोल भरकर लाया था और उसे राजस्थान में ईट भटटो के पास ट्रेक्टरो व मोटरसाईकिल वालो को बेच रहा था, तब अभियुक्त सुनिल कुमार को अवैध डीजल–पैट्रोल बेचते हुये पुलिस ने पकड लिया। प्रकरण हाजा में की गई तकमिल तफ्तीश बयानात मुस्तगीस व गवाहान, नक्शा मौका मय हालात मौका घटनास्थल, फर्दजब्ती कुजर गाडी मय डीजल–पैट्रोल, फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम, चैकलिस्ट अभियुक्त, सुनिल कुमार, नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट व प्राप्त जवाब, फर्द जब्ती कागजात, एफएसएल नमुना जमा रसीद, दीगर अनुसंधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नामजद अभियुक्त सुनिल कुमार पुत्र श्री मदन सिह जाति जाट उम्र 30 साल निवासी काजला पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 के खिलाफ ''राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापत्र और नियन्त्रण) आदेश 1990'' तथा मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (पदार्थ और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005'' का उल्लंघन किये जाने पर जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधि0 का अपराध बखूबी साबित पाया गया है। प्रकरण हाजा में तकमील तफ्तीश पूर्ण हो चुकी है। मुकदमा उनवान में जब्तशुदा वाहन नंबर एचआर 23 एच 0953 व इसके वाहन स्वामी से अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है, यदि उक्त जब्तशुदा वाहन को माननीय न्यायालय द्वारा सुपुर्दगी पर वाहन स्वामी को दिया जाता है तो इसमें पुलिस को कोई आपत्ति नही है। अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट वास्ते अवलोकनार्थ श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.01 12:41:45 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने [illegible] मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उनवानी प्रकरण से थाना पचेरी कलां जिला झुंझुनूं [illegible] वाहन CRUISER 9+D रजि0 नम्बर HR 23 H 0953 चैसीस नं0 [illegible] जब्त [illegible] गया है। पुलिस थाना पचेरी कलां को उपरोक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं [illegible] अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रार्थी का उपरोक्त वाहन बारिश व धूप में खुला खड़े होने की वजह से वाहन [illegible] हो रहा है। अगर वाहन को सपुदुर्गी पर नही छोडा गया तो प्रार्थी उक्त वाहन अत्यधिक खराब हो जायेगा जिसकी वजह से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी श्रीमान न्यायालय के आदेशानुसार मौबीर जमानतनामा व सुपुदर्गीनामा पेश करने को तैयार है।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में पेश है। अन्य उजरात वर वक्त बहस किये जायेगे। अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत सुपुदर्गी पर देने वाहन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस थाना पचेरी कलां जिला झुंझुनूं द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट नं0 122/022 अपराध अं0 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में जप्त वाहन CRUISER 9+D चैसीस नं0 D270032189 रजि0 नम्बर HR 23 H 0953 सुपुदर्गी पर छोडे जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

विभागीय प्रतिनिधि ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का वाहन CRUISER 9+D चैसीस नं0 D270032189 रजि0 नम्बर HR 23 H 0953 से 02 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रमों जिसमे लगभग 200–200 लीटर डीजल, 05 प्लास्टिक के नीले रंग के ड्रमों प्रत्येक मे लगभग 40 –40 लीटर डीजल इस प्रकार कुल 600 लीटर डीजल, एक नीले रंग की केन मे लगभग 20 लीटर पेट्रोल, एक 02 लीटर का नाप व एक ड्रमों से तेल निकालने की बैरल मशीन जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई एफ0आई0आर0 नं0 122/2022 मे पुलिस थाना सदर पचेरी कलां मे जप्त हुआ था। प्रार्थी द्वारा वाहन नं0 HR 23 H 0953 मे डीजल–पेट्रोल का बिक्री के उद्देश्य से अवैध परिवहन किया है जो ई0सी0 एक्ट का उल्लघंन है। अतः प्रार्थी का सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। एवं जप्तशुदा 02 नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रमों जिसमे लगभग 200–200 लीटर डीजल, 05 प्लास्टिक के नीले रंग के ड्रमों प्रत्येक मे लगभग 40 –40 लीटर डीजल इस प्रकार कुल 600 लीटर डीजल, एक नीले रंग की केन मे लगभग 20 लीटर पेट्रोल, एक 02 लीटर का नाप व एक ड्रमों से तेल निकालने की बैरल मशीन जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी हुई को राजसात कर खुली निलामी मे बिक्री कर राशि राजकोष मे जमा कराने के आदेश प्रदान किये जावे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया किया। प्रकरण मे डीजल व पेट्रोल हरियाणा से लाया जाना स्वयं प्रार्थी ने स्वीकार किया है। जप्तशुदा डीजल की मात्रा 600 लीटर, जपतशुदा पेट्रोल की मात्रा 20 लीटर, 2 बडे ड्रम व 5 छोटे ड्रम, 02 लीटर का नाप व एक ड्रमों से तेल निकालने की बैरल मशीन जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी है। इतनी मात्रा मे हरियाणा से बिना किसी अनुमति के प्रार्थी उक्त डीजल एवं पेट्रोल राजस्थान मे लाया है जबकि राजस्थान मे डीजल एवं पेट्रोल पम्प पहले से उपलब्ध है। इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रार्थी टैक्स बचाने के लिए डीजल एवं पेट्रोल वहां से लेकर आया है। प्रकरण का अन्तिम निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा सेक्शन 3/7 के तहत किया जाना है। हम प्रकरण का निस्तारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए तथा 6बी के तहत डीजल, पेट्रोल एवं वाहन सं0 क्रूजर HR 23 H 0953 का अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अतः जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह जप्तशुदा डीजल की मात्रा 600 लीटर, जप्तशुदा पेट्रोल की मात्रा 20 लीटर, 2 बडे ड्रम व 5 छोटे ड्रम, 02 लीटर का नाप व एक ड्रमों से तेल निकालने की बैरल मशीन जिसमें प्लास्टिक की पाईप लगी है का खुली निलामी के जरिये निस्तारण करें तथा निलामी राशि को नियमानुसार कार्यवाही कर राजकोष मे जमा करावें तथा जप्त वाहन क्रूजर सं0 HR 23 H 0953 को 5–5 लाख का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के अन्तरिम आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं एवं जिला पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल [illegible]।

आदेश आज दिनांक **06.10.2022** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.01 12:41:45 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं